राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 5689/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
महेन्द्र सिहं गोयल नयावास सारपोश्वरजी दरवाजे के बाहर, जिला सिरोही सिरोही , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अंकित, वरिष्ठ सहायक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 26-8-16 जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को प्रस्तुत कर बीना सिंह, जिला प्रमुख, भरतपुर के नामांकन की मय शपथ पत्र के प्रमाणित प्रति चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि उनके कार्यालय में सूचना का आवेदन प्राप्त नही हुआ बल्कि सूचना का आवेदन आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के साथ प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना संबंधित जिले के निर्वाचन कार्यालय में संधारित की जाती है अतः सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु पत्र दिनांक 5-1-18 से संसूचित कर दिया गया था।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-3-18 मय संलग्न प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के आवेदन के क्रम में सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई अतः हस्तगत अपील बिना प्रथम अपील प्रस्तुत किये ही प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रथम अपील की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। बिना प्रथम

अपील प्रस्तुत किये हस्तगत अपील पोषणीय नहीं है अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त